(iii) नर्सरी / के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर स्थापित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख का प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक 46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर बेस्ट मॉडल पब्लिक स्कूल, लोमा, जन्दाहा, वैशाली को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक........................

दिनांक........................

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को उनके पत्रांक 171 दिनांक 16.03.2010 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक....559....

दिनांक....29/06/10....

प्रतिलिपि : प्राचार्य, बेस्ट मॉडल पब्लिक स्कूल, लोमा, जन्दाहा, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/6/10
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

Ajay Kumar
Chairman
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vaishali)

Principal
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vaishali)